



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर-273010 (उ० प्र०) भारत
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur – 273010 (U.P.) India

फलदार वृक्षों के फलों की नीलामी से सम्बन्धित प्रपत्र एवं निविदा सूचना – 2023

- निविदा विक्रय की तिथि एवं समय : 27.12.2023 पूर्वाह्न 10:00 बजे
- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 03.01.2024 अपराह्न 3:00 बजे
- निविदा प्रपत्र का मूल्य : रू. 1500/- प्रति खण्ड एवं 18 प्रतिशत जी०एस०टी० कुल रू० 1770/- प्रति खण्ड
- धरोहर धनराशि : रू० 30,000/ (खण्ड- अ, ब एवं स) तथा
रू० 5,000/ (खण्ड- द, य एवं र)
- निविदा जमा किए जाने का स्थान : कुलसचिव कार्यालय
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 03.01.2024 अपराह्न 4:00 बजे



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर-273010 (उ० प्र०) भारत
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur – 273010 (U.P.) India

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय प्रांगण में आम, कटहल, लीची के फलों की नीलामी दो वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 हेतु निविदाएं आमंत्रित किया जाता है। पेड़ों की स्थिति विभिन्न खण्डों में निम्न प्रकार है :-

- खण्ड अ-** कालोनी में सड़क के दोनो किनारे तथा पानी की टंकी के पास एवं एल्युमनाई भवन तक 40 आम के पेड़ एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 45,000/- है।
- खण्ड ब-** फार्म हाउस के सड़क के किनारे कलमी, लंगड़ा, दशहरी चौसा आदि आम के 156 पेड़ एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 8,11,000/- है।
- खण्ड स-** सुभाष भवन छात्रावास के तीनों तरफ एवं रामानुजन छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास के पूरब 151 आम के पेड़ एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 11,11,000/- है।
- खण्ड द-** कार्यशाला के दक्षिण रोड के दोनो तरफ लंगड़ा आम के 29 पेड़ एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 75,000/- है।
- खण्ड य-** लीची का 07 पेड़ अतिथि गृह पर एवं कटहल का 06 पेड़ स्टेडियम के अन्दर एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 18,000/- है।
- खण्ड र-** आवासीय कालोनी के पश्चिम बाउण्ड्री के किनारे आम के 15 पेड़ एवं ठेके की न्यूनतम उद्धरित धनराशि रू० 40,000/- है।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक 03.01.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक अपनी मोहरबन्द निविदा तथा रू. 30,000/- (खण्ड- अ, ब एवं स) तथा रू. 5,000/- (खण्ड- द, य एवं र) की धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के नाम आनलाईन/आर०टी०जी०एस० कर जमाकर जमा रसीद के साथ कुलसचिव कार्यालय में जमा करेंगे। निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी और अन्य जानकारी के लिए कुलसचिव कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

नीलामी के संबंध में शर्तें निम्नवत हैं :-

- उच्चतम निविदा की स्वीकृति के पश्चात् निविदा दाता द्वारा कुल धनराशि का 50 प्रतिशत एक मुश्त विश्वविद्यालय कोष में पत्र प्राप्ति के सात (07) दिन के अन्दर जमा करना होगा। 25 प्रतिशत धनराशि ठेका लेने के एक वर्ष के अन्दर ही जमा करना अनिवार्य होगा तथा अवशेष धनराशि 25 प्रतिशत दूसरे वर्ष जमा करने के उपरान्त ही फल तोड़ने का अधिकार होगा।
- निविदा स्वीकृत के पश्चात् आशय पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर अलग से रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
- आम की नीलामी इस प्रतिबन्ध के साथ किया जायेगा कि आम के पेड़ जहाँ भी जिस स्थिति में है उसी अनुसार निविदा किया जायेगा और निविदा स्वीकार्य होगा।
- बिना कारण बताए किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार मा. कुलपति महोदय पास सुरक्षित होगा।
- पूर्व वर्षों में यदि किसी ठेकेदार द्वारा बकाया धनराशि नीलामी की तिथि तक जमा नहीं किया गया है तो उसे टेण्डर भरने का अधिकार नहीं होगा।
- ठेके की अवधि में विश्वविद्यालय के नियम एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सभी खण्डों हेतु एक मुश्त निविदा मान्य नहीं होगा।
- फलों की नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र रू० 1770/- विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के नाम आनलाईन/आर०टी०जी०एस० के रूप में जमा कर वित्त नियंत्रक कार्यालय से दिनांक 27.12.2023 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से कार्यालय कार्यकाल में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र

सेवा में,

कुलसचिव
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आम, कटहल एवं लीची के विभिन्न खण्डों की खण्डवार मेरी दर निम्नानुसार है :-

| खण्डवार विवरण | निविदा की धनराशि (रू.) |
|--|------------------------|
| खण्ड अ- कालोनी में सड़क के दोनो किनारे तथा पानी की टंकी के पास एवं एल्युमनाई भवन तक 40 आम के पेड़ | |
| खण्ड ब- फार्म हाउस के सड़क के किनारे कलमी, लंगड़ा, दशहरी चौसा आदि आम के 156 पेड़ | |
| खण्ड स- सुभाष भवन छात्रावास के तीनों तरफ एवं रामानुजन छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास के पूरब 151 आम के पेड़ | |
| खण्ड द- कार्यशाला के दक्षिण रोड के दोनो तरफ लंगड़ा आम के 29 पेड़ | |
| खण्ड य- लीची का 07 पेड़ अतिथि गृह पर एवं कटहल का 06 पेड़ स्टेडियम के अन्दर | |
| खण्ड र- आवासीय कालोनी के पश्चिम बाउण्ड्री के किनारे आम के 15 पेड़ | |
| 1.टेण्डर फार्म क्रय करने हेतु रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....रूपये | |
| 2.धरोहर धनराशि का विवरण :रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....रूपये | |

शर्तों के अनुपालन सम्बन्धी घोषणा

निविदा के सभी आवश्यक शर्तों से अवगत हो गया हूँ, मैं वचन देता हूँ कि निविदा स्वीकृत होने के बाद मैं सभी शर्तों का निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा।

कृपया
स्वप्रमाणित
निविदादाता का
फोटो चिपकाएं

निविदादाता के हस्ताक्षर :

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पत्राचार का पूरा पता :

मोबाइल नम्बर :

आधार कार्ड नम्बर :

- नोट :-
1. सभी खण्डों हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र (फार्म) भरना अनिवार्य है।
 2. सभी खण्डों के लिए अलग-अलग अंकित धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के नाम आनलाईन/आर0टी0जी0एस0 जमानत की धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर लेवे और निविदा प्रपत्र के साथ इसे अवश्य नत्थी करें।
 - 3.. निविदा प्रपत्र दिनांक 03.01.2024 को 3:00 बजे अपरान्ह तक ही जमा किया जा सकता है। अन्य जानकारीया निविदा प्रपत्र की सूचना एवं निविदा की शर्तों में दी गई विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट mmmut.ac.in पर उपलब्ध है।
 4. टेण्डर में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक निविदादाता को अपने निविदा प्रपत्र के साथ अपना सत्यापित फोटो एवं आई. डी. कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/डाइविंग लाइसेंस की प्रति किसी संभ्रान्त व्यक्ति से प्रमाणित कराकर अपनी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र संख्या : उद्यान/01/2023

नियम एवं शर्तें

1. निविदा की उद्धरित धनराशि खण्डवार निविदा प्रपत्र के अनुसार है।
2. उच्चतम निविदा की स्वीकृति के पश्चात् निविदा दाता द्वारा कुल धनराशि का 50 प्रतिशत एक मुश्त विश्वविद्यालय कोष में आशय पत्र (LOI) प्राप्ति के सात (07) दिन के अन्दर जमा कर अनुबन्ध करना होगा। 25 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष धनराशि 25 प्रतिशत दूसरे वर्ष की फरवरी माह या पहले जमा करने के उपरान्त ही फल तोड़ने का अधिकार होगा।
3. निविदा स्वीकृत के पश्चात् आशय पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर अलग से रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
4. निविदा में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक निविदाकर्ता को अपने पहचान से संबंधित पहचान पत्र जैसे स्थायी एवं अस्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड अपनी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अपना सक्रिय मोबाईल नम्बर जिस पर व्हाट्सप ऐप हो एवं ई-मेल आईडी0 भी देना होगा। जिससे की उन्हे निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना समय पर दी जा सके।
5. नीलाम किये जाने वाले फलों आम, कटहल, लिची के वृक्षों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक कुलसचिव महोदय के अनुमति से निविदा के लिए प्रस्तावित कुल फलदार वृक्षों की संख्या एवं अपेक्षित उपज का आकलन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकता है।
6. निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि अपना प्रस्ताव मूल्य निविदा के निर्धारित प्रारूप में उद्धृत करें। यदि प्रस्तावित मूल्य उद्धरित मूल्य (निर्धारित मूल्य) से कम होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. पूर्व वर्षों में यदि किसी ठेकेदार द्वारा बकाया धनराशि निविदा आमंत्रण की तिथि तक जमा नहीं किया जाता है, तो उसके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. ठेके की अवधि में विश्वविद्यालय के नियम एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध दिये जाने के तुरंत बाद पेड़ों की निगरानी और रखवाली की व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद चोरी, प्राकृतिक आपदाओं, आग या किसी अन्य कारण से होने वाली क्षति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
10. आम, कटहल, लिची के फलों की कटाई ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकृत कर्मचारियों की उपस्थिति में होगा।
11. फलों की बिक्री विश्वविद्यालय परिसर के भीतर या मुख्य द्वार के सामने नहीं किया जायेगा।
12. सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर फलों के संग्रह एवं देखभाल में लगे आवश्यक कर्मियों का नाम एवं विवरण प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा प्रभारी द्वारा गेट पास निर्गत किये जाने के बाद अधिकृत कर्मचारी को ही परिसर के अन्दर जाने की अनुमति होगी।
13. पौधों को कोई नुकसान पहुँचाये बिना आम, कटहल, लिची के फलों की कटाई एवं तोड़ने के अधिकार के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अन्य सम्पत्तियों पर ठेकेदार का कोई भी अधिकार नहीं होगा।
14. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के कारण विश्वविद्यालय के वृक्षों सहित किसी भी अन्य सम्पत्ति की कोई भी क्षति नहीं होगी। यदि ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा क्षति पहुँचायी जाती है तो एक मुश्त विश्वविद्यालय द्वारा वसूल किया जायेगा। जिसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि से भी किया जा सकता है।
15. यदि निविदा अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा परिसर में अशान्ति या अनुशासनहीनता की जाती है, तो विश्वविद्यालय उचित कार्यवाही करेगा।
16. यदि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षति का भुगतान करना होगा।

17. बगीचे में खाना पकाने आदि के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग नहीं करना होगा। यदि ऐसा करते हुये पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड का भुगतान करना होगा।
18. निविदाकर्ता द्वारा बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम नहीं लिया जायेगा।
19. निविदाकर्ताओं द्वारा ई-निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
20. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने/अस्वीकार करने अथवा संस्थान हित में परिमार्जित करने अथवा संशोधन करने का अधिकार मा. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/सक्षम अधिकारी का होगा।
21. उपरोक्त समस्त प्रकार की शर्तों को स्वीकार करना निविदादाताओं के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर विधिक कार्यवाही की दशा में मा. न्यायालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में ही निस्तारित किया जायेगा।

कुलसचिव